एक देश, एक विधान, एक निशान का सपना साकार

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के हटने के बाद बदली तस्वीर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नई शुरुआत

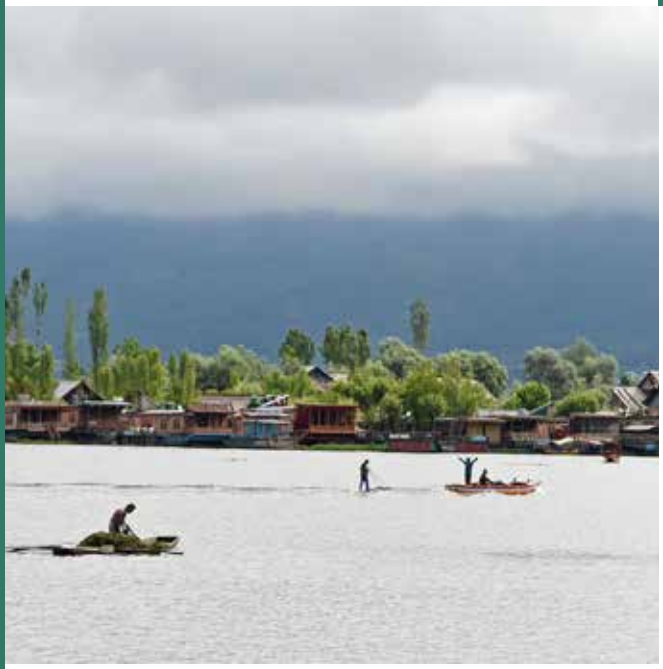

पहले देश के लिए अधिकतर जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता था- Except J and K. अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। शांति और विकास के जिस मार्ग पर जम्मू और कश्मीर बढ़ रहा है, उसने राज्य में नए उद्योगों के आने का मार्ग भी बनाया है। आज जम्मू-कश्मीर आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान दे रहा है"

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

विषय सूची

1. परिचय..... 01
2. दशकों से दूर था कश्मीर..... 02
3. इसलिए जरूरी था अनुच्छेद 370 को निरस्त करना..... 04
4. अनुच्छेद 370 व 35-ए हटने से बदली कश्मीर की फिजा..... 07
5. सीधे लाभार्थियों तक पहुंचने लगी योजनाएं 08
6. रोजगार एवं कौशल विकास से घाटी को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल..... 11
7. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का अभूतपूर्व विकास..... 13
8. आतंक से मुक्त, विकास से युक्त हो रहा जम्मू-कश्मीर 15
9. फिर चमकेगा पर्यटन..... 16
10. विकास को लगेंगे पंख..... 17
11. आत्मनिर्भर जम्मू-कश्मीर के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा..... 19
12. हर हाथ अब थामेगा पुलवामा की तैयार पेंसिल..... 25
13. सफलता की कहानियां..... 28

उम्मीदों का सवेरा

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 'एकदेश, एक विधान, एक प्रधान' का संकल्प आजादी के 70 साल बाद पूरा हो पाया है तो अनुच्छेद 370 और 35ए से आजादी के बाद धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब देश के बाकी हिस्से के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।

देश के साथ कश्मीर के कदम से कदम

दशकों के फासले को कम करते हुए नरेन्द्र मोदी सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर 70 साल की टीस खत्म की। अब उसे मुख्यधारा से जोड़ देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा किया है। करीब दो साल से ही ये क्षेत्र विकास के नए सफर पर निकल पड़ा है। केन्द्र के 170 कानून जो पहले लागू नहीं थे, अब वे इस क्षेत्र में लागू कर दिए गए हैं। वर्तमान में सभी केन्द्रीय कानून जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में लागू हैं।

अध्याय-1

दशकों से दूर था कश्मीर

जम्मू और कश्मीर के साथ भारत के अन्य राज्यों से अलग व्यवहार किया जाता था। इसकी वजह से इस राज्य की मुख्यधारा से दूरी थी।

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू–कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केन्द्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। भारत की संसद जम्मू–कश्मीर के संबंध में सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती थी।

अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू–कश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान की अधिकतर धाराएं लागू नहीं होती थीं। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू–कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। यह जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं होता था।

केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम भी जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता था।

जम्मू–कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था। जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का था।

अध्याय-2

इसलिए जरूरी था अनुच्छेद 370 को निरस्त करना

जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी। तब केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे - 'ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम' कहा था।

- नरेन्द्र मोदी सरकार की इसी दीर्घकालिक सोच का ही नतीजा है कि आज कश्मीर भी देश के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।
- चाइल्ड मैरिज एक्ट, शिक्षा का अधिकार और भूमि सुधार जैसे कानून अब यहां भी प्रभावी है। वाल्मीकि, दलित और गोरखा जो राज्य में दशकों से रह रहे हैं, उन्हें भी राज्य के अन्य निवासियों की तरह समान अधिकार मिल रहे हैं।
- वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर प्रदेश एवं लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के क्रमश: 30757 करोड़ रु. और 5959 करोड़ रु. का अनुदान दिया गया है।

- फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में 5300 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 13,732 करोड़ रु. के एमओयू (समझौते के ज्ञापन) पर दस्तखत हुए हैं।
- 7 नवंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए लगभग 80,000 करोड़ रु. की पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी। पुनर्गठन के बाद जम्मू एवं कश्मीर को 58,477 करोड़ रु. की 53 परियोजनाओं, जबकि लद्दाख को 21,441 करोड़ रु. की 9 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है ।

जब ऐतिहासिक रूप से केन्द्रीय धन का अधिकतम हिस्सा जम्मू-कश्मीर को दिया गया। उसके बाद भी यह बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार के अवसर आदि जैसे विकास के कार्यों में क्यों नहीं परिलक्षित हुआ है? राजनीतिक फायदे के लिए युवा वर्ग का उपयोग किया जा रहा है और राज्य के युवाओं की उपेक्षा करते हुए मुट्ठी भर अभिजात वर्ग ने इन निधियों से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया। लिंग, वर्ग, जाति और मूल स्थान के आधार पर अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या-क्या नुकसान हुए हैं, इस बात की किसी ने परवाह नहीं की। इसके कारण घर-घर में गरीबी दिखाई दे रही है। केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसी के कारण जम्मू-कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई, यह अनुच्छेद महिला विरोधी, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी है। इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र प्रफुल्लित नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ा और चरम सीमा पर पहुंच गया।"

- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
(संसद में बहस के दौरान)

अध्याय-3

अनुच्छेद 370 व 35-ए हटने से बदली कश्मीर की फिजा

- 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने को मंजूरी दी गई। नोटिफिकेशन जारी करते ही 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केन्द्र शासित प्रदेश में पुनगर्ठित कर दिया गया।
- इसके साथ ही केन्द्र सरकार के 170 कानून जो पहले लागू नहीं थे, अब वे इस क्षेत्र में लागू कर दिए गए हैं। यहां के स्थानीय निवासियों और दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच अधिकार अब समान हैं। राज्य के 334 कानूनों मे से 164 कानूनों को निरस्त किया गया, 167 कानूनों को भारतीय संविधान के अनुरूप अनुकूलित किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- 370 से आजादी के एक साल बाद यहां गांवों के साथ जनपद और जिला पंचायत के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। कई वर्षों के बाद सन 2018 में पंचायत चुनाव हुए और इसमें 74.1 फीसदी मतदान हुआ। सन 2019 में पहली बार आयोजित ब्लॉक डेवलेपमेंट काउंसिल चुनाव में 98.3 फीसदी मतदान हुआ। हाल ही में जिला स्तर के चुनाव में भी रिकॉर्ड भागीदारी हुई।

अध्याय-4

सीधे लाभार्थियों तक पहुंचने लगी योजनाएं

वंचितों को लाभ

सौभाग्य योजना	उज्ज्वला योजना	उजाला योजना
3,87,501	12,60,685	15,90,873

सामाजिक सुरक्षा (राज्य) योजना	8,88,359

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में 4.4 लाख लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है। इस योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के अस्पतालों में 1.77 लाख उपचार अधिकृत किए गए हैं, जिसके लिए 146 करोड़ रु. प्राधिकृत किए गए हैं।
- पीएम किसान योजना का लाभ लेने में जम्मू-कश्मीर कुल जनसंख्या के अनुपात में लाभार्थी प्रतिशत की दृष्टि से अग्रणी हैं। इस योजना में अब तक 12.03 लाख लाभार्थी शामिल हुए हैं।
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1.34 लाख घर स्वीकृत हुए हैं।

- वाल्मीकि समुदाय, गोरखा लोगों और पश्चिमी पाकिस्तान से उजाड़े और खदेड़े गए शरणार्थियों को पहली बार राज्य में होने वाले चुनाव में मत देने का अधिकार मिला।
- मूल निवासी कानून लागू किया गया। नई मूल निवासी परिभाषा के अनुसार 15 वर्ष या अधिक समय तक जम्मू-कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति भी अधिवासी माने जाएंगे।
- 1990 में कश्मीर घाटी से भगाए गए कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने का रास्ता साफ हो गया है। कश्मीरी प्रवासियों की वापसी के लिए 6000 नौकरियों और 6000 पारगमन आवासों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- जम्मू-कश्मीर से बाहर विवाह करने वाली लड़कियों और उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है।

- सेब के मार्केट के लिए इंटरवेंशन स्कीम लागू की गई है। यह इंटरवेंशन स्कीम के अन्तर्गत डीबीटी द्वारा भुगतान और केन्द्रीय खरीद एजेंसी द्वारा परिवहन से इसकी कीमत स्थिर हुई है।

अध्याय-5

रोजगार-कौशल से घाटी को मुख्यधारा में जोड़ने की पहल

सबसे बड़ा भर्ती अभियान

अब तक के सबसे बड़े भर्ती अभियान के प्रथम चरण में 10,000 रिक्तियों की पहचान की गई है, उनमें से 8575 के लिए सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन दिया जा चुका है। भर्ती अभियान के दूसरे चरण के रूप में 12379 पद की पहचान की गई है, जम्मू-कश्मीर सरकार इन रिक्तियों को भर्ती एजेंसियों को संदर्भित करने की प्रक्रिया में है।

- हिमायत योजना में 90,792 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण को मंजूरी मिली। को आवंटित पंचायत, ब्लॉक में दो दिन और एक रात रुक कर जन समस्यायों को समझना है।

सोशल सेक्टर

- बैक टू विलेज योजना लागू की गई। राजपत्रित अधिकारियों को आबंटित पंचायत, ब्लॉक में दो दिन और एक रात रुककर

जन समस्याओं को समझना है।

- केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों से जुड़ा है, उसके औषधीय गुणों को कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला। अब कश्मीरी केसर पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच रहा है।
- पुलवामा के उक्खू गांव को पेंसिल वाले गांव का टैग देने की तैयारी है। देश का 90 प्रतिशत पेंसिल स्लेट यहीं से तैयार होकर देशभर में जाता है।
- नए स्वीकृत 50 कॉलेजों में 48 कॉलेजों को चालू कर दिया गया है जिसमें 6700 छात्रों ने प्रवेश लिया है।
- 7 नए मेडिकल कॉलेज और 5 नए नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी गई।
- गुलमर्ग में पहली बार खेले गए भारतीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया।

अध्याय-6

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का अभूतपूर्व विकास

- प्रधानमंत्री द्वारा पोषित विकास कार्यक्रम ने गति पकड़ी, जिससे 2018 में खर्च की अपेक्षा 2021 में खर्च दो गुना हो गया।
- वर्षों से लंबित श्रीनगर का रामबाग फ्लाईओवर खोला गया।
- आईआईटी जम्मू को अपना कैंपस मिला और एम्स जम्मू का भी काम शुरू हो चुका है।
- अटल टनल का इंतजार खत्म हुआ और प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया।
- जम्मू की सेमी रिंग रोड और 8.45 किमी नई बनिहाल सुरंग इस साल खोली जाएगी।
- चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा 467 मीटर का पुल अगले साल तक पूरा हो रहा है।

- जम्मू और कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना। 7110.78 करोड़ रु. की लागत वाली 2375 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 1555.16 करोड़ रु. की लागत से 1100 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

- पनबिजली परियोजनाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी।
- 1000 मेगावाट के पाकालदुल और 624 मेगावाट की किरू परियोजना के कांट्रेक्ट दे दिए गए हैं।
- 223 पॉवर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन योजनाओं का क्रियान्वयन।
- झेलम बाढ़ शमन परियोजना से झेलम की क्षमता में 10,000 क्यूसेक की वृद्धि। जम्मू और कश्मीर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 10,599 करोड़ रु. की योजना बनाई जा रही है।

अध्याय-7

आतंक से मुक्त, विकास से युक्त हो रहा जम्मू-कश्मीर

- अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है। वर्ष 2018 में 58, वर्ष 2019 में 70 और वर्ष 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्चे पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ली गई। अलगाववादियों के 82 बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।
- आतंक की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है और घाटी में शांति और सुरक्षा का नया वातावरण बना है ।

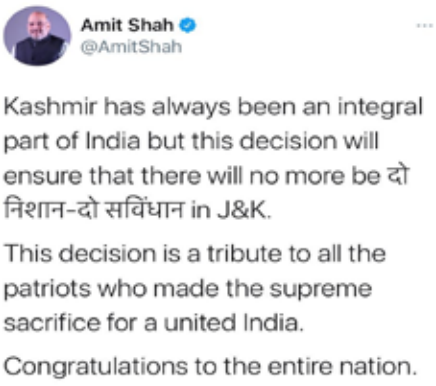

अध्याय-8

फिर चमकेगा पर्यटन

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में उन जगहों की पहचान की जा रही है, जो टूरिज्म डेस्टिनेशन बनसकते हैं। हिमालय की 137 पर्वत चोटियां विदेशी पर्यटकों के लिए खोली गई हैं, जिनमें 15 चोटियां जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की हैं।

अध्याय-9

विकास को लगेंगे पंख

- 40 वर्ष से रूकी हुई शाहपुर-कंडी बांध परियोजना पर कार्य शुरू किया गया है। रातले पनबिजली परियोजना का कार्य पुनः शुरू किया गया है।
- जम्मू-कश्मीर में दो एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। इनमें से एक एम्स जम्मू में होगा और दूसरा कश्मीर में।
- केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सभी व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं तथा सभी फ्लैगशिप योजनाओं पर द्रुत गति से कार्य प्रारंभ किया।
- लगभग 80,000 करोड़ रु. वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत विकास- 20 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा बाकी क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- केन्द्र सरकार ने लद्दाख में बौद्ध अध्ययन केन्द्र के साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है।
- इंजीनियरिंग विभागों और उद्योगों, पर्यटन, वित्त और तकनीकी शिक्षा विभागों में प्रशासनिक सुधार-अतिव्यापी कार्यों का विलय या युक्तिसंगत करना।

आज जम्मू-कश्मीर के लोगों का विकास, हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए अवसर की बात हो, दलितों-पीड़ितों-शोषितों-वंचितों के कल्याण का लक्ष्य हो या फिर लोगों के संवैधानिक और बुनियादी अधिकार, हमारी सरकार राज्य की भलाई के लिए हर फैसले ले रही है। जम्मू–कश्मीर की अपनी महान विरासत है और इसके शानदार लोग अपने इस क्षेत्र को सशक्त करने के तरीके अपना रहे हैं, नए तरीके सुझा रहे हैं।"

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय-10

आत्मनिर्भर जम्मू-कश्मीर के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा

अंत्योदय के मूलमंत्र और सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास की भावना के प्रति समर्पित केन्द्र सरकार ने दशकों तक उपेक्षित जम्मू-कश्मीर में विकास को नई रफ्तार दी है। भारत सरकार की किसी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत पहली बार होगा कि औद्योगिक विकास को जम्मू-कश्मीर के ब्लॉक स्तर तक ले जाएगी। इसके लिए नई केन्द्रीय योजना के तहत अगले 15 वर्ष के लिए 28400 करोड़ रु. की प्रोत्साहन योजना से प्रदेश में विकास के नए द्वार खुलेंगे।

- जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28400 करोड़ रु. की नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को मंजूरी। अभी तक विभिन्न स्पेशल पैकेज योजनाओं के तहत 1123.84 करोड़ रु. दिए गए।

- जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने खोले विकास के द्वार। यह पहल विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के घरेलू विनिर्माण को प्रमुखता से बढ़ावा देगी। जम्मू-कश्मीर की आयात पर निर्भरता को कम करने और निर्यात की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। नई योजना को एमएसएमई की बड़ी इकाइयों व छोटी इकाइयों दोनों के लिए आकर्षक बनाया गया।

- जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केन्द्रीय योजना के तहत 2037 तक 28,400 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसके तहत उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और औद्योगिकीकरण का नया अध्याय प्रारंभ होगा।

- यह योजना रोजगार सृजन, कौशल विकास और सतत विकास पर विशेष फोकस देकर जम्मू-कश्मीर के मौजूदा औद्योगिक इकोसिस्टम में व्यापक बदलाव लाएगी।

- प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के साथ-साथ लगभग 4.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। औद्योगिकीकरण होने से कृषि, बागवानी, रेशम उद्योग, मछली व पशुपालन डेयरी उद्योग में रोजगार का सृजन होगा।

- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में किए गए निवेश पर जोन ए और जोन बी में क्रमश: 5 करोड़ और 7.5 करोड़ तक के पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश के लिए 500 करोड़ रु. तक की ऋण राशि पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का पूंजीगत ब्याज सबवेंशन मिलेगा।
- 10 वर्षों के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में किए गए वास्तविक निवेश के पात्र मूल्य का 300 प्रतिशत जीएसटी लिंक्ड प्रोत्साहन मिलेगा।
- सभी मौजूदा इकाइयों के लिए अधिकतम 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ तक की राशि पर 5 प्रतिशत की वार्षिक दर से कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) ब्याज प्रोत्साहन मिलेगा। नए निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- इससे संपूर्ण जम्मू-कश्मीर निवेश का पसंदीदा स्थान बनकर उभरेगा और उससे औद्योगिक विकास के वातावरण का निर्माण होगा।
- इसका मकसद राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए जम्मू-कश्मीर को सक्षम करना है।

#TransformingJandK
जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए
मोदी सरकार ने खोले विकास के द्वार
जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए
नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को स्वीकृति
जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में होगा
विकास और रोजगार सृजन
लगभग 4.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार
के अवसर
औद्योगीकरण होने से होगा कृषि, बागवानी, रेशम उद्योग,
मछली व पशुपालन सहित ऐंसरी उद्योग में रोजगार का सृजन
जम्मू-कश्मीर में नये निवेश से होगा सतत विकास
जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए
मोदी सरकार ने खोले विकास के द्वार
जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए
नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को स्वीकृति
योग्य औद्योगिक इकाईयों को योजना के तहत प्रोत्साहन
पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहन
(₹7.5 करोड़ तक)
पूंजीगत ब्याज पर अनुदान
(₹500 करोड़ तक के पूंजी निवेश ऋण पर 7 वर्ष
के लिए 6% की दर से)
जीएसटी से लिंक्ड प्रोत्साहन राशि
(300% निवेश की राशि पर)
वर्किंग कैपिटल के ब्याज पर अनुदान
(5 वर्ष के लिए 5% की दर से)
#TransformingJandK
#TransformingJandK
जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए
मोदी सरकार ने खोले विकास के द्वार
जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए
नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को स्वीकृति
जम्मू कश्मीर बन रहा है निवेश का
पसंदीदा स्थान
संपूर्ण जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के वातावरण
का निर्माण
राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए जम्मू कश्मीर को
सक्षम करना
अनुमानित व्यय ₹28,400 करोड़
जम्मू-कश्मीर में ब्लॉक स्तर तक औद्योगिक विकास
Cabinet Decisions : 04th Jan 2021

#TransformingJandK
जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए
मोदी सरकार ने खोले विकास के द्वार
जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए
नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को स्वीकृति
यात्रा से मिलेगी आत्मनिर्भर भारत को शक्ति
जम्मू-कश्मीर के उद्योगों का विकास करना, व नये निवेश को प्रोत्साहन
घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर
निर्यात की क्षमता पहचानते हुए आयात पर निर्भरता में कमी

#TransformingJandK
जम्मू-कश्मीर में
औद्योगिक विकास
को बढ़ावा
प्रमुख विशेषताएं
नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा और मौजूदा उद्योगों को 5 साल के लिए 5% की दर से कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करके उनके विकास को बढ़ावा देगा

HOME AFFAIRS
#TransformingJandK
जम्मू-कश्मीर में
औद्योगिक विकास
को बढ़ावा
जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी
2020-21 से 2036-37 के दौरान ₹28,400 करोड़ की राशि खर्च किए जाएंगे।
इसके तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे

जम्मू-कश्मीर के गांव-गांव में बिजली पहुंची है। यहां के गांव आज खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने, हर घर जल पहुंचाने का मिशन जम्मू-कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर में लोकल गवर्नेंस का मजबूत होना, डेवलेपमेंट के कामों में ये बहुत बड़ी तेजी लाएगा।

अध्याय-11

हर हाथ अब थामेगा पुलवामा की तैयार पेंसिल

अब कश्मीर के पुलवामा का नाम आते ही, 14 फरवरी, 2019 की दहशतगर्दी नहीं, नए भारत की तस्वीर उभरेगी। पुलवामा के उक्खू गांव को केन्द्र सरकार की पहल पर 'पेंसिल वाला गांव' का टैग दिया जा रहा है। इसलिए अब पुलवामा को देश के बच्चों की शिक्षा में अक्षर ज्ञान वाली पेंसिल के लिए जाना जाएगा। देश में जिन हाथों ने पेंसिल थामी है या थामी होगी, उन्हें शायद अंदाजा

भी नहीं होगा कि यह पेंसिल कहां से बनकर उनके हाथों तक पहुंची है। लेकिन आपको यह जानकर सुखद अनुभूति होगी कि आपके हाथों में आने वाली 90 फीसदी पेंसिल भी उसी पुलवामा से होते हुए पहुंचती है।

पुलवामा जिले का उक्खू गांव अब मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर विकास की नई रफ्तार भरने को तैयार है। केन्द्र सरकार भी जम्मू-कश्मीर को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने में जुटी हुई है। पिछले एक साल में जम्मू-कश्मीर ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम जोड़े हैं। इसी कड़ी में पुलवामा जिले को केन्द्र सरकार पेंसिल वाले जिले के तौर पर नई पहचान देने जा रही है।

पुलवामा का उक्खू गांव अभी तक सिर्फ पेंसिल बनाने के लिए पेंसिल स्लेट (लकड़ी की पट्टी) देशभर में भेजता था, लेकिन अब बदलते कश्मीर में यहीं से पूरी पेंसिल तैयार करके पूरे देश में भेजी जाएगी। यह गांव अब स्पेशल जोन के रूप में विकसित होगा। इस गांव में 400 से ज्यादा लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। लेकिन अब रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। बीते साल इस गांव में पेंसिल से 107 करोड़ रु. का राजस्व मिला है। इसी तरह अनंतनाग जिले के गांवों में भी पेंसिल के खाके बनाए जाते हैं। ऐसे में उक्खू को पेंसिल वाले गांव का टैग मिलने से लोगों को सब्सिडी मिलेगी और वे उद्योग जगत में अपना योगदान दे सकेंगे। इससे कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी।

1960 के दशक में यहां पेंसिल का उत्पादन करने के लिए देवदार के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन इससे जंगलों और

पर्यावरण का नुकसान होता था। इसलिए बाद में देवदार की जगह पापुलर के पेड़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ। पेंसिल निर्माण के लिए सिर्फ 10 फीसदी ही लकड़ी यहां केरल से मंगवाई जाती है। जबकि बाकी लकड़ी की आपूर्ति पुलवामा से ही हो जाती है। लकड़ी की कारीगरी के साथ-साथ क्रिकेट बैट के लिए भी दुनियाभर में मशहूर, कश्मीर को जरूत है नया बाजार उपलब्ध कराने की। ऐसे में केन्द्र सरकार की यह पहल हस्तशिल्प को प्रोत्साहन के साथ वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूती देगी। कच्चे माल की जगह अब पूरी पेंसिल पुलवामा से बनकर देश के हर हाथ में होगी।

अध्याय-12

सफलता की कहानियां

पक्का घर मिला - पीएम नरेन्द्र मोदी के मुरीद हुए पुंछ के शफी

जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाके पुंछ जिले के मोहम्मद शफी पहले दूसरों के घर में रहने को मजबूर थे, बाद में अपना कच्चा मकान बनाया। लेकिन बर्फबारी वाले इस क्षेत्र में कच्चे मकान में बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में पुंछ जिले में प्रशासन की संजीदगी से प्रधानमंत्री आवास योजना परवान चढ़ी तो शफी को पक्का मकान मिल गया। अपना घर होने से खुश शफी कहते हैं, "आज मैं मोदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।" दरअसल पुंछ जिले के मनकोट तहसील के सोलात्री में केन्द्र सरकार की इस

लाभान्वितों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया

योजना के तहत आधा दर्जन मकान लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना से लाभान्वित रुकसाना कोसर कहती हैं "हम पहले बहुत दिक्कत से गुजर बसर करने को मजबूर थे। लेकिन अब हम अच्छे से रहते हैं। "गरीबों की पक्के मकान के आस में अब तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2014 के बाद दो करोड़ से ज्यादा मकान लाभार्थियों के लिए तैयार किए जा चुके हैं। अब गरीबों का अपना घर का सपना पूरा होने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना तेजी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

लद्दाख की कुन्जेस बनी युवा महिला की पहचान

आत्मनिर्भर भारत अभियान किस तरह युवाओं के सपने को साकार कर रहा है, इसकी एक मिसाल बनी हैं लद्दाख की हथकरघा क्षेत्र में काम कर रही 29 वर्षीय युवा महिला उद्यमी कुन्जेस अंग्मो। जिन्होंने 3 साल पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद लद्दाख में रहकर ही कुछ करने का सोचा। लेकिन उनकी इस सोच को साकार करने में सबसे अहम भूमिका निभाई केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने। अंग्मो बताती हैं कि 3 साल पहले जब वह कुछ ऐसा करने की सोच रही थी, तभी उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी मिली और उन्होंने इसके लिए लोन लिया। कुन्जेस आज न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हैं, स्थानीय स्तर पर 100 महिलाओं को उनके घर पर ही रोजगार भी दे रही हैं।

विकास की अग्रदूत हाजिया फातिमा बानो

सही मायरे में एक साल बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगा है। इस विकास की प्रहरी हैं लद्दाख की महिला किसान हाजिया फातिमा बानो, जिन्हें अनोखी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ किसान समेत कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उन्होंने बड़े पैमाने पर सब्जियां उपजानी शुरू कीं और अपने इलाके में प्रेरणास्रोत बन गईं।

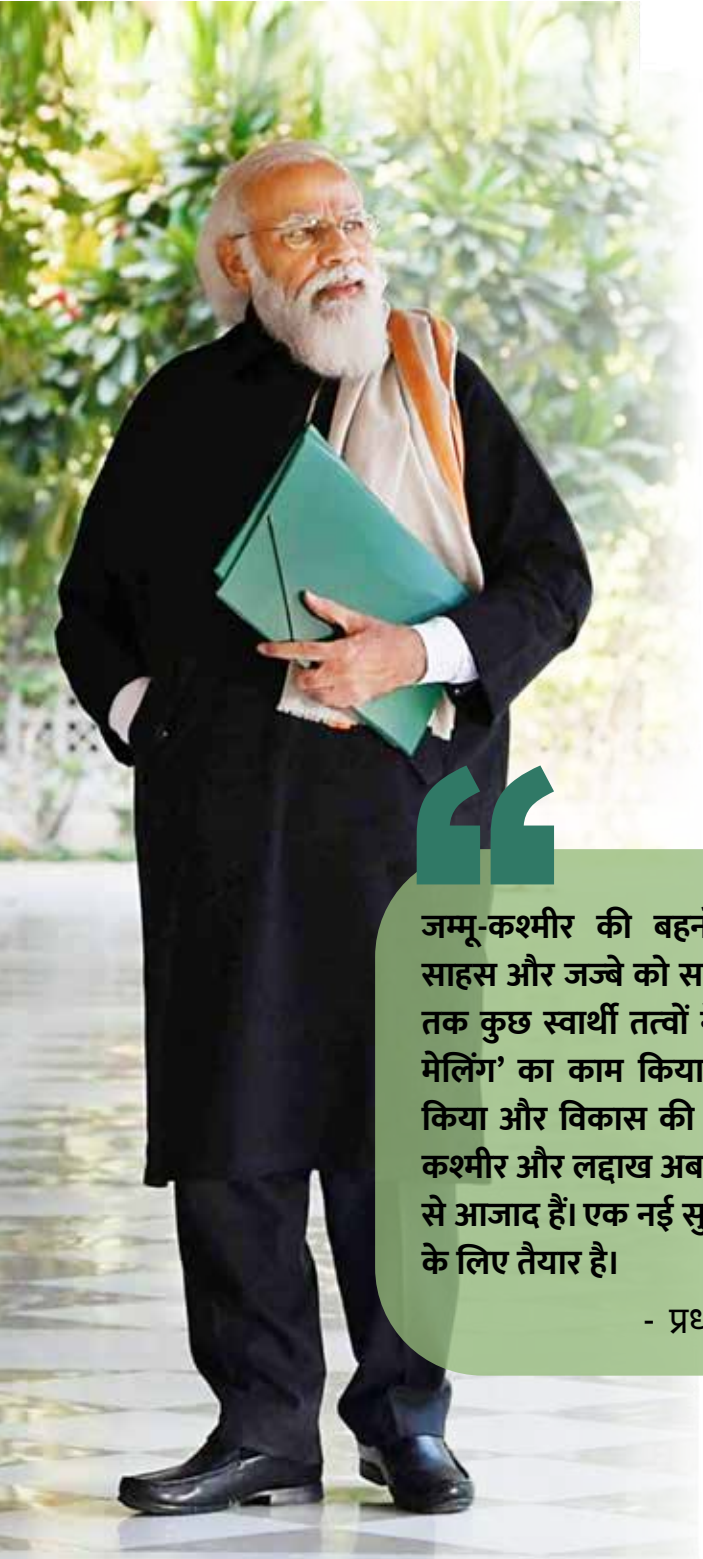

जम्मू-कश्मीर की बहनों और भाईयों के साहस और जज्बे को सलाम करता हूं। वर्षों तक कुछ स्वार्थी तत्वों ने 'इमोशनल ब्लैक-मेलिंग' का काम किया, लोगों को गुमराह किया और विकास की अनदेखी की। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब ऐसे लोगों के चंगुल से आजाद हैं। एक नई सुबह एक बेहतर कल के लिए तैयार है।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

आज तक

अनुच्छेद-370: एक तीर से कई निशाने, अब घाटी में होंगे ये बड़े बदलाव

जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है. लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. कश्मीर में लागू धारा-370 में सिर्फ खंड-1 रहेगा, बाकी प्रावधानों को हटा दिया जाएगा.

aajtak.in

अमर उजाला

Kashmir Article 370 Abrogation: नए जम्मू-कश्मीर का एक साल, आतंक पर जबरदस्त प्रहार, दहशतगर्दों का सफाया

हिन्दुस्तान

J&K: अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद विकास के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार